रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 1985/वैशाख 30, 1907
No. 247] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1985/VAISAKHA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

का.आ. 407(अ) :—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 9 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या-618(अ), तारीख 25 अगस्त, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी	क्षेत्र
12.	जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) झांसी ।	मध्यप्रदेश राज्य ।

[संख्या ए-42025/26/85-महिला सैल]
अशोक गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1985

S.O. 407(E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 9 of the Equal Remuneration Act, 1976, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. 618 (E) dated the 25th August, 1983, published in part II, Section 3 Sub section (ii), for entries at Serial No. 12, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Officer	Area
No. 12	All Labour Enforcement Officers (Central) in Jabalpur Region and Labour Enforcement Officer (Central), Jhansi.	The State of Madhya Pradesh.

[No. A-42025/26/85-Women's Cell]
ASHOK GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985